कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।

E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2984/12-1 : देहरादूनः दिनांकः 17 जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/19747/2016)

सन्दर्भः– इस कार्यालय की पत्रांक–917/12–1 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 **(प्रति संलग्न)** एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/122/2018/एफ0सी0/1021, दिनांक 25.8.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि पूर्व में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या–6754/12–1 दिनांक 10.6.2024 को मयसंलग्नकों सहित हार्ड प्रति/ऑफलाईन भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गई है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से अनुपालन आख्या आनलाईन अपलोड न होने के कारण सूचना इस कार्यालय द्वारा आनलाईन प्रेषित नहीं की जा सकी है। उक्त अनुपालन आख्या वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा आनलाईन प्रेषित किया गया है, फलस्वरूप प्रस्ताव नोडल कार्यालय पर लम्बित दर्शित हो रहा है। अतः पूर्व में हार्ड प्रति में प्रेषित अनुपाल आख्या को आनलाईन मय संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रकरण पर तद्नुसार विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्याः 2984 / 12-1/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण आनलाईन किये जाने की अनिवार्यता होने के कारण सम्बन्धित प्रकरणों की सूचना/आख्या आनलाईन एवं आफ लाईन के माध्यम से स–समय इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

Online Offline Gen Lett.

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 917 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 10 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः– चमोली में पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/19747/2016)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/122/2018/एफ0सी0/1021 , दिनांक–25.08.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 6754/12–1 दिनांक 10.06.2024 (जो इस कार्यालय को 12–08–2024 **प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भुमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.94 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम मलारी सिविल खसरा नं0 1354,1355,1357,1368 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात की इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Guidance para-2.4a(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेत विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं। का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना अति आवश्यक है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपंण हेतु उक्त धनराशि रू0 2944962.00 का ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न ।(संलग्न 1) जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं0 7724/26–एल0सी0(2021–22) दिनांक 13.12.2022 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित मलारी के खसरा संख्या 1354,1355,1356,1357,1358,1367,1368 रकबा 7.94 है0 भूमि श्रेणी 3(3) झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है जिसका वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्न–2)
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना कि तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है(संलग्न–3)
4	शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संख्या 202/1995 में नंबर दिनांक–30.10.2012,	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3354650.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

P/C

	01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2018 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–2/1998–एफ0सी0(पी0टी0–2) दिनांक 05. 02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.97 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हारे ,जो अंतिम रूप देने के बाद हो राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्न–4)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्याा प्रस्तावित के अनुसार 479 वृक्षों एवं 106 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
6	State Govt.Will inform tothis office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II apporval as per guidance para 11-2 the state Govt.will strictly monitored and assure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न)
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	खण्ड द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
9.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मं निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
.11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।
16	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

	किया जायेगा।	
17	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तान मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20..	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपेंने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/ पर अपलोड की गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

पत्रांकः– 917 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक , गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(आर0 के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 6754 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून 10 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– चमोली में पाखी –हयूणा –पोखनी –लांजी –द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की पत्र सं0 260/23एल0ए0 दिनांक 02.02.2024.**

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपश्वर के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जो निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे शर्त मान्य है। जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी ।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण :– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.94है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम मलारी सिविल खसरा नं0 –1354,1355,1357,1368 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा । जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Guideline para-2.4a(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना अति आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना कि तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त धनराशि रू0 2944962.00 का ऑनलाईन चालान के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न।(संलग्न–1) जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं0 7724/छब्बीस–एल0सी0(2021–22) दिनांक 13.12.2022 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित मलारी के खसरा सं0 1354,1355,1356,1357,1358,1367,1368 रकवा 7.94है0 भूमि श्रेणी 3(3) झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि कृषि योग्य बजर भूमि के रूप में दर्ज है जिसका वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्न–2) उक्त के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न–3)
4.	शुद्व वर्तमान मूल्यः– (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संख्या 202/1995 में नंबर दि0 30.10.2012, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008,एवं 09.05.2018 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–2/1998–एफ0सी0(पी0टी0–2) दिनांक 2003, (पी0टी0–2) 18.09.2006 एवं 5–3/2007 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.97 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3354650.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

प्रभारी–चमोली
आ०का०कैर।
प्र०व०सं०/नो०
8-8-24

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण ... कार्यालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
डायरी सं0 538
पत्रावली 12-1
दिनांक 13-8-24

01C

	के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हारे, जो अंतित रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्न–4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसारअ 479 पेड़ो के साथ 106 "चसपदह से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
6.	State Govt. Will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of wrok before stage II approval as per guideline para 11-2 the State Govt. will strictly monitored and assure that no further activity is carried out under such permissionv after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य है।
7.	परियेाजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जायेगें।	परियेाजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। (चालान की प्रति संलग्न–5)
9.	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	खण्ड द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
11.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
12.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14.	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
15.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नही किया जायेगा।
16.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
17.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों विभाग, अथवा व्यक्ति हो हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
18.	इनमें किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा अथवा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

19.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
20.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविद्विष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के परिवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षत्रे की स्थिर एंव पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थलीकरण एवं सुधार काय योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षत्रे में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
21.	यदि अन्य कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर ऑनलाईन कर दी गयी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त विषयांकित मोटर मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ऑनलाईन एवं ऑफलाईन इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पंत्राकः– 6754 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

संलग्न 5 1(1)(2)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

No/Fax No :- 01372 – 252122

E MaiL :- eepdgpr1@gmail.com

ांक –कैश मैमो

दिनांक–गोपेश्वर 28/02/2022

ा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
गोपेश्वर।

िषय :– सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों पर एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि इस खण्ड के अधीन मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी–ह्यूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष चैक सं. 406093 दि. 04.02.2022 – रु. 6299612.00 मूल में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कि संलग्न चैक का <u>उत्तरांचल कैम्पा, खाता सं. 150896119747398, IFSC No- UBIN0903710</u> के पक्ष में NEFT/RTGS द्वारा भुगतान करने का कष्ट करें। ताकि निर्माण सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – चैक मूल में 1 नं.

(इं. प्रवीण बहुखण्डी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक
28 FEB 2022
Deepa Sharma

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

संलग्नक 1(2)
(3)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6119747398
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/122/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	6299612/-

Amount in Words :Sixty-Two Lakh Ninety-Nine Thousand Six Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896119747398 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

28 FEB

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

संलग्नक 2- (1)

आदेश –

संलग्नक 2(4)

9	अन्य व्यय, साईनबोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डोक्यूमेंन्टेशन आदि कार्य	-	ल0स0	100000.00	1,00,000.00
10	अन्य व्यय	-	ल0स0	335000.00	3,35,000.00
				कुल योग–	**8,28,789.53**
	तृतीय वर्ष (10% विटिंग अप)				
1	पुनः गढढा खोदना व पौध रोपण कार्य	873	सं0	7.00	6,111.00
2	पौध का ढुलान कार्य	873	सं0	16.00	13,968.00
3	पौधों की लागत	873	सं0	14.00	12,222.00
4	पौध निराई–गुडाई कार्य करना। प्रथम	8734	सं0	2.52	22,009.68
5	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	7.9400	हे0	1200.00	9,528.00
	2.2 सुरक्षा दीवल के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना ।	7.9400	प्रति किमी0	579.00	4,597.26
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	-	ल0स0	100000.00	1,00,000.00
6	रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.9400	हे0	915.20	87,200.26
7	अन्य व्यय	7.9400	हे0	3500.00	27,790.00
				कुल योग–	**2,83,426.20**
	चतुर्थ वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	हे0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	हे0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
4	पौधों की निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	8734	सं0	2.91	25,415.94
	योग				**2,11,380.20**
	पंचम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	हे0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	हे0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				**1,85,964.26**
	षष्ठम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	हे0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	हे0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				**1,85,964.26**
	सप्तम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	हे0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	हे0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				**1,85,964.26**

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

CS CamScanner

संलग्नक 2(5)

	अष्टम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	है0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	नवम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	है0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	दशम वर्ष				
1	अग्नि सुरक्षा सम्बन्धि कार्य करना	7.9400	है0	600.00	4,764.00
2	देख–रेख पर व्यय 12 माह।	7.9400	है0	915.20	87,200.26
3	अन्य व्यय	–	–	ल0स0	94,000.00
	योग				1,85,964.26
	महा योग				35,64,182.90
	बोनी प्रजाति के वृक्षारोपण योजना की कुल लागत			या	35,64,000.00

पैंतीस लाख चौंसठ हजार रूपये पात्र

प्रति हस्ताक्षरित

सर्वेयर/मानचित्रकार
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ

वन क्षेत्राधिकारी
रेंज-जोशीमठ

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,
वन प्रभाग जोशीमठ।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

CS CamScanner

एन॰पी॰वी॰ प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :– **जनपद चमोली में पाखी–ह्यूंणा–पोखनी–लांजी–द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.97 हे॰ वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन मूल की अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

संलग्नक-5

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Demmand Generated By User Agency	Demmand Verified By Nodal Officer	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/19747/2016	ROAD197472016398	6299612	6299612	2022-02-28	SBIN422059811602	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	2021-07-12	2021-07-17	